



Form-I
(for linear projects)
Government of Himachal Pradesh.

Office of the District Collector, Kullu, Distt. Kullu, H.P.

No: 3175/DRA

Dated: 25/11/2021

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.4330 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Assistant Engineer, Sub-Division, HPPWD Banjar for construction of Road from Panchveer to Dhocha via Bion in Kullu district falls within jurisdiction of Gram Panchayat, Balaghad village in Tehsil Banjar.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.4330 hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure D.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.



(Ashutosh Garg, IAS)
District Collector,
Kullu.

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the District Level Committee of Kullu District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship / Chairpersonship of Ashutosh Garg, IAS, Deputy Commissioner, Kullu on 15/11/2021 at 3.00 PM at Kullu in which the application(s) claiming rights in Gram Panchayat, Balaghad forest area under FRA, 2006, of the following applicant(s), duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee(s) of Kullu Sub Division(s), were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions the following decisions were taken on each application:-

Name of Applicant	Purpose	Decision
Assistant Engineer Sub Division, HPPWD Banjar District Kullu (HP).	Diversion of 1.4330 hectare forest land for the construction of Road from Panchveer to Dhocha via Bion	Admitted


**DC-cum Chairman/Chairperson,
District Level Committee,
Kullu District HP.**

Place: Kullu

~~OF THE SDO (CIVIL) BANJAR DISTRICT KULLU (HP)~~

~~Meeting~~ of the meeting sub division level committee constituted under schedule tribe and other traditional forest dwellers (recognition of rights) act FRA), 2006.

A meeting of the sub Divisional level committee of banjar sub divisional constituted under FRA 2006 was held under the chairpersonship of Mr. Hem Chand Verma SDO (civil) Banjar on 23-07-2021 at 11-00 am at banjar i which applications claiming rights in banjar forest areas under FRA 2006 of the following applicants (S), duly processed and recommended by the forest rights committee (S) of ~~Civil~~ Balagad, Bini, Sulhanu were discussed to consider the same for recommendation to the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions the following decision were taken on each application.

Name of Applicant <u>Recommended</u>	Decision (Recommended/Not Recommended)
✓ 1.HPPWD Larji (4.14 hect.) Parganoo to Bhallan Road	Recommended
2. HPPWD Banjar (0.58 hect.) Banjar Bye Pass Bhumar Nalla Road	Recommended
3. HPPWD Banjar (4.90 hect.) Tatta Pani to Khun sulhanu dhar Road	Recommended
4. HPPWd Banjar (1.4330.) Panchveer to Dhocha Via Bion Road	Recommended

**Sub Divisional Officer (Civil)
Banjar, Distt. Kullu (H.P.)**

Hem Chand Verma
~~Sub Divisional Officer (Civil)
Banjar, Distt. Kullu (H.P.)~~

1. 1990. 11. 10. 10:00 AM - 11:00 AM

• **WILHELM** **WILHELM** **WILHELM**

ज्ञान / एवं इनकी कोई वा उन अधिकार का दावा पाये जाते हुआ।

gMu

कामा
लेखा
02/10/2020

ଅଧୀକ୍ଷୁଦ୍ଵାରା ଉତ୍ସାହିତ ହେଲା
ପ୍ରାୟ ସମ୍ମାନ

१८६४/१९८५ वासीयों के नाम जिन्होंने इस पन के ३/जंगल में पन अधिकार के दावे को लिए
आवेदन किया है।

१८६४/१९८५ वासीयों के लिए वन (जंगल) उपरिक्षम १९८० के अन्तर्गत यह सूची का
उपयोग की अनुसारे हो जाना है।

पद	राग	हस्ताक्षर
प्रबोधित	श्री वृंदामुख	प्रबोधित
सुन्दर दाकुर	सुन्दरी	सुन्दरी
देवा देवी	देवी	देवा देवी
मलवी रत्न	मलवी	मलवी
गुलबी	गुलबी	गुलबी
कुराहा	कुराहा	कुराहा
सुन्दरी	सुन्दरी	सुन्दरी
देवा	देवा	देवा
प्रबोधित	प्रबोधित	प्रबोधित
मलवी	मलवी	मलवी
कुराहा	कुराहा	कुराहा
सुन्दरी	सुन्दरी	सुन्दरी
देवा	देवा	देवा

अ.प्रश्नांग जनजाति और ग्राम परम्परागत वन नियामी (वन अधिकारी की प्राप्ति) अधिनियम, 2006

प्राम समा लोटाहाड
प्रतिविधि प्रस्ताव

प्रस्ताव राखा ।।

दिनांक 05-03-2021

प्राम समा लोटाहाड की बैठक साज होनांक 05-03-2021 फॉ ।।
इसी स्थान लोटाहा में भी/भीमुति, कुराहा देवी की अधिकारी ने
ही गढ़ जिसमें याचकीर से दोचा लाया गिया गांव के अनुगमित जनजाति और अन्य परम्परागत
एवं नियामी (वन अधिकारी की प्राप्ति) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत कुराहा देवी वन राष्ट्रपाल जंगल वन
क्षेत्र में (जिला पर्वती, PWD) विमान द्वारा लिए सुझाए याचकीर से दोचा लाये गए नियाम के लिए ।। 330 हेटेयर यह
प्राप्ति के उपयोग की अनुमति प्रस्तावित है) वन अधिकारी के लिए दाये हुए इसे ग्राम समा की वन अधिकार समिति की
विधारिश के तपानमान पाता हुए गांव गाँवी के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारी के प्रस्तावों के साथ
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन की उस पर विस्तृत पर्णी के उपरान्त इस ग्राम समा द्वारा निम्न लिखित पात्रों द्वा
रा नियमानुसार सही पाया गया :-

<u>क्र००४०</u>	* प्राम ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का वीरा
1.	—NA—	—NA—	—NA—
2.	—NA—	—NA—	—NA—

तथानुसार यह ग्राम रास्ता इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती
है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का वाया नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र००४० * प्राम ग्राम वासी का नाम

1. —NA— —NA—

तथानुसार ग्राम समा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम समा की वन अधिकार समिति से ग्राम समाना के अनुसार कुराहा देवी जंगल/ वन क्षेत्र में कोई भौमिका
अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान.....लोटा

दिनांक.....05.03.2021

या
कुराहा देवी
कुराहा देवी

कुराहा देवी

कुराहा देवी

कुराहा देवी

कुराहा देवी

कुराहा देवी

कुराहा देवी

कुराहा देवी

कुराहा देवी

कुराहा देवी

कुराहा देवी

कुराहा देवी

कुराहा देवी

कुराहा देवी

कुराहा देवी

कुराहा देवी

कुराहा देवी

कुराहा देवी

कुराहा देवी

कुराहा देवी

कुराहा देवी

कुराहा देवी

कुराहा देवी

कुराहा देवी

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए
आवेदन किया है।

** गोजीकट/ कायर का नाम जिसके लिए यह (सरकार) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के
उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Executive Engineer
Banjar Division
HP.PWD, Banjar

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....बला/पा/इ
विधारा रघुनाथ.....बला/र

ग्राम.....कुल्लौ.....(फिल्म)

प्रतीक्षाप्रस्ताव

दिनांक..... ०५-०३-२०२१

गणपूते..... ५०२ / ७५५

प्रस्ताव संख्या..... १२

विषय: विधारा की निर्माण का उपयोग की समीक्षा
विभाग/संस्था का पांचवीं से दोबार
वाया विधारा की निर्माण हेतुकुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय बन भूमि के
जगल/बन क्षेत्र में प्रस्तावित १०५ ३३० हेतु वन भूमि के
उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभाबला/पा/इ की बैठक आज दिनांक
०५-०३-२०२१ अ. ५ / ८ बजे स्थानबला विभाग/संस्था का छठवीं से दोबार
की गई, जिसमेंबला/पा/इ जगल/बन क्षेत्र में प्रस्तावित
विधारा के निर्माण हेतुकुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय बन भूमि के उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की ग
1. ५३३०

सभी ग्रामधासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह सा
एवं बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाएं
सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक से अनुरूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिक
मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दायों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा रावे स
यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दायों के निपटारे सम्बन्धी
योग्यता पूरी रूप से ग्राम सभा के लिए गई है मध्य प्रशासित वन भूमि के लिए वन भूमि को नियुक्त
करने की विधि द्वारा वन भूमि के लिए ग्राम सभाबला/पा/इ द्वारा वन भूमि को नियुक्त
सहमति दी जाती है।

स्थाप.....बला दिनांक ०५-०३-२१

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा.....

अनुसूती संज्ञाति और अन्य प्रश्नपत्रात् वन नियासी (वन अधिकारी की गांवता) अधिनियम, 2006

प्राम समा लोकलाइट
प्रतिवेदि प्रसाद

प्रस्ताव राखा ।।

दिनांक 05-03-2021

प्राम समा लोकलाइट

वन अधिकारी की गांवता लोकलाइट की देवी की अधिकारी की गांवता में श्री/श्रीमति गांव के अनुसूती संज्ञाति और अन्य प्रश्नपत्रात् वन नियासी (वन अधिकारी की गांवता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत कुशाहाद्वार बरहमाल जगत/वन क्षेत्र में (लोकलाइट) प्राम समा लोकलाइट की गांवता के लिए 4330 हेक्टेयर एवं यह प्रति एक उपयोग की भौमिका प्रस्तावित है। वन अधिकारी के लिए यह इस प्राम समा की वन अधिकारी रामति की सिधारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव गांवियों को आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारी के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन क्षण उस पर विफूल पर्णों के उपरान्त इस प्राम समा द्वारा निम्न लिखित पात्रों द्वारा नियमानुसार सही पाया गया :-

कृष्ण * प्राम ग्राम धारी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का व्यौरा

1.

—NA—

2.

—NA—

—NA—

—NA—

तथानुसार यह प्राम समा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड रसर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार राही नहीं पाया गया:-

कृष्ण

* प्राम ग्राम धारी का नाम

1. —NA—

—NA—

तथानुसार प्राम समा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस प्राम समा की वन अधिकार समिति रो प्राप्त सम्भवा के अनुसार कुशाहाद्वार जंगल/वन क्षेत्र में छोड़ दी गयी राष्ट्रीय अधिकृत दस्तावेजों का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान..... लोकलाइट

दिनांक..... 05/03/2021

* ग्रामधासी/ग्राम धासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए यह (सरकार) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के

उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Executive Engineer
Banjar Division
HP.PWD, Banjar

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत का विभाग (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006

प्राम समा... बला/ह/15
विधारा रण्ड... बला/र

सिता... कुल्ले... (फै५०)

परिसंग प्रस्ताव

दिनांक ५५-०३-२०२१

गणपूर्ण... ५०२ / ७५५

प्रस्ताव संख्या १२

विधारा... बला/ह/15
विधारा/संस्था को प्राप्तवीर्त्ते होना
वन अधिकारी के निर्माण हेतु बुराहार के राष्ट्रवाल
जगत्/वन क्षेत्र में प्रस्तावित १०५.३३० हैवटेयर वन भूमि के
उपयोग की भजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

प्राम समा... बला/ह/15 की बेहक आज दिनांक
०५-०३-२०२१ क्षे... ५१ वन अधिकारी के निर्माण हेतु बुराहार के राष्ट्रवाल
जगत्/वन क्षेत्र में प्रस्तावित १०५.३३० हैवटेयर वन भूमि के उपयोग की भजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की ग

सभी ग्रामधासियों ने रांचिंत वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह सं
फ़ चाट सब सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह प्राम समा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाएं
सहमत है।

प्राम समा की इस बैठक से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन नियारी (वन अधिक
मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारी के दायों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सब स
यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारी के दायों के निपटारे सम्पूर्ण
एकीकृत गति गति कर ली गई है मध्य प्रस्तावित वन भूमि हैवटेयर वन भूमि को लड़ा
ले दी जाएगी। वन भूमि के निर्माण हेतु उपयोग के लिए प्राम समा... बला/ह/15
सहमति दी जाती है।

स्थाप... बला/... वन अधिकारी के निर्माण हेतु उपयोग के लिए प्राम समा... बला/ह/15
दिनांक ०५-३-२१

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
प्राम समा...

[Signature]
Executive Engineer
Banjar Division
H.P.PWD, Banjar